

# निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

श्री मंगल पांडे के स्थान पर

बिहार विधान परिषद् का

उप-निर्वाचन, 2026

## प्ररूप 21ख

[नियम 11 (1) देखिए]

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन।


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री सूर्य कुमार शर्मा, त्रिपोलिया के पास, पथरी घाट, चाई टोला, पटना सिटी, पटना- 800007, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गए हैं;

उस सदन में श्री मंगल पांडे के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

तारीख : 04 मई, 2026

  
04/05/26

रिटर्निंग ऑफिसर

रिटर्निंग ऑफिसर

बिहार विधान परिषद् का उप निर्वाचन

# ***Conduct of Elections Rules, 1961***

(Statutory Rules and Order)

## **FORM 21B**

**[See rule 11(1)]**

***(For use in Election to fill a casual Vacancy when seat is uncontested)***

**Declaration of the result of Election under Sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951.**

### **Election to the Legislative Council of Bihar by the members of the Legislative Assembly**

In pursuance of the provisions contained in Sub-section (2) of section-53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

**Shri Surya Kumar Sharma , Near Tripolia, Pathri Ghat, Chai Tola Patna City, Patna-800007 Sponsored by Bharatiya Janata Party, has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the resignation of Shri Mangal Pandey having become vacant.**

Place : Bihar Vidhan Sabha Secretariat, Patna  
Date : 04th May, 2026

*Chhatrapanwan*  
04/05/26  
Returning Officer  
**Returning Officer for  
the Bye Election**  
To the Bihar Legislative Council